FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

मेघाराम बनाम हरीराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा०का०अ० 111,128 RLRAct नं. 354/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/19	**प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री** चुनाराम **ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा** 111, 128 RLRAct **राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक** 11/02/2020 **को पेश हो।** (हस्ताक्षर) (SDO) बायतु	
11/02/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 19/05/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 13/07/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/07/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 14/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/09/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इत्तला होकर दिनांक 23/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 23/11/2020	

23/11/2020 — पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इलतवा होकर दिनांक 08/02/2021 को पेश हो।

08/02/2021 — पत्रावली पेश हुई वकलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 19/04/2021 को पेश हो।

19/04/2021 — पत्रावली पेश हुई वकलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 02/06/2021 को पेश हो।

02/06/2021 — पत्रावली पेश हुई वकलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 13/09/2021 को पेश हो।

13/09/2021 — पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इलतवा होकर दिनांक 01/12/2021 को पेश हो।

01/12/2021 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील बिदम तामील मियाद। चूंकि पीठासीन अधिकारी पंचायत चुनावों के संग आमचुनाव-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर पेशानी दिनांक 22/02/2022 को पेश हो।

22/02/2022 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 बजे लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/05/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सह[illegible] (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 657 — दिनांक : 05/05/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मेहाराम पुत्र कुम्भाराम वगैरा 02, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिडा (बाडमेर)		1. हरीराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 23, जाति जाट, निवासी रतेऊ, पटवार मण्डल रतेऊ, तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 354 / 2019

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेऊ, पटवार मण्डल – रतेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाडमेर के खेत खसरा नं. 769 / 29, 776 / 34 रकबा क्रमशः 12.12, 13.10 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 05/05/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 608-612

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मेहाराम पुत्र कुम्भाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री हरीराम पुत्र पुरखाराम वगैरा 23,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु